प्रारंभिक परीक्षा

मत्स्ययन बंदरगाहों की सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण

संदर्भ

तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने और एक समान सुरक्षा ढांचा स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की लगभग 1,200 मत्स्ययन बंदरगाहों (fishing harbours) और मत्स्य अवतरण केंद्रों (fish landing centres) को CISF की निगरानी में लाने की योजना है।

तटीय सुरक्षा के लिए सरकार की योजना

- **CISF की निगरानी:** लगभग 1,200 मत्स्ययन बंदरगाहों और मत्स्य अवतरण स्थलों को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की निगरानी में लाया जाने वाला है।
    - यह 250 से अधिक समुद्री बंदरगाहों के लिए CISF को सुरक्षा नियामक के रूप में नामित किए जाने के बाद उठाया गया कदम है।
- **सुरक्षा ढांचा:** CISF सुरक्षा खाका (template) तैयार करेगा और सुरक्षा प्रोटोकॉल के प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन का मार्गदर्शन करेगा।
    - उदाहरणार्थ: बायोमेट्रिक एक्सेस सिस्टम, स्मार्ट पहचान पत्र और मछुआरों की विनियमित आवाजाही।
- **एक समान सुरक्षा ढांचा:** इसका उद्देश्य तटीय सुरक्षा को संभालने वाली कई एजेंसियों के कारण उत्पन्न होने वाली कमियों को दूर करना है।
- **बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो (BoPS):** सरकार नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) की तर्ज पर एक समर्पित बंदरगाह सुरक्षा निकाय के निर्माण की दिशा में काम कर रही है।

मत्स्ययन बंदरगाहों के बारे में

- **प्रबंधन:** राज्य मत्स्ययन बंदरगाहों के संचालन और रखरखाव का प्रबंधन करते हैं, जबकि केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सुविधाओं का प्रबंधन बंदरगाह प्राधिकरणों (Port Authorities) के माध्यम से किया जाता है।
- **कवरेज:** भारत में 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,547 अधिसूचित मत्स्ययन बंदरगाह और मत्स्य अवतरण केंद्र हैं।
- **महत्व:** ये मत्स्य अवतरण, भंडारण और विपणन के प्रमुख केंद्रों के रूप में काम करते हैं, साथ ही तटीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी संवेदनशील हैं।

चंद्रयान-2 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उपसतह बर्फ (SUBSURFACE ICE) का पता लगाया

संदर्भ

भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (PRL) के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-2 के डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार (DFSAR) का उपयोग करते हुए, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में उपसतह बर्फ की उपस्थिति का संकेत देने वाले साक्ष्य प्राप्त किए हैं।

निष्कर्षों के बारे में

- **अध्ययन क्षेत्र:** यह विश्लेषण स्थायी रूप से छायांकित क्षेत्रों (Permanently Shadowed Regions - PSRs) के भीतर दोहरे छायांकित क्रेटरों (doubly shadowed craters) पर केंद्रित था, जहां तापमान 25 K से नीचे रहता है, जो जल बर्फ (water ice) के दीर्घकालिक संरक्षण के अनुकूल है।
- **बर्फ के साक्ष्य:** चार दोहरे छायांकित क्रेटरों से रडार हस्ताक्षरों (Radar signatures) ने संभावित उपसतह बर्फ जमाव का संकेत दिया; सबसे पुख्ता साक्ष्य फॉस्टिनी क्रेटर (Faustini crater) के भीतर एक क्रेटर में पाए गए।
- **प्रयुक्त विधि:** बर्फ के हस्ताक्षरों को चट्टानी भूभाग से अलग करने के लिए DFSAR (डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार) डेटा और पोलरिमेट्रिक मापदंडों (सर्कुलर पोलराइजेशन रेशियो (CPR) और डिग्री ऑफ पोलराइजेशन (DOP)) का उपयोग किया गया।
- **महत्व:** ये निष्कर्ष चंद्र जल संसाधनों की समझ में सुधार करते हैं और भविष्य के चंद्र अन्वेषण तथा संसाधन उपयोग मिशनों का समर्थन कर सकते हैं।

भारत-चीन सीमा प्रबंधन वार्ता

संदर्भ

भारत और चीन ने बीजिंग में भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र (WMCC) की 35वीं बैठक आयोजित की।

मुख्य परिणाम

- **सीमा स्थिरता:** दोनों पक्षों ने सीमा पर निरंतर शांति व सद्भाव तथा द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने में इसके योगदान पर ध्यान दिया।
- **सीमा प्रबंधन:** सीमा परिसीमन, सीमा प्रबंधन, तंत्र-निर्माण और सीमा-पार सहयोग पर चर्चा की गई।
- **पार-सीमा नदियां:** भारत ने पार-सीमा नदियों पर विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र (Expert Level Mechanism) की शीघ्र बैठक बुलाने की मांग की।
- **भविष्य की वार्ता:** राजनयिक और सैन्य स्तर के आदान-प्रदान को जारी रखने तथा अगली विशेष प्रतिनिधि (Special Representatives - SR) वार्ता की तैयारी करने पर सहमति व्यक्त की गई।

भारत और चीन के बीच संस्थागत तंत्र

- **WMCC (2012):** भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र की स्थापना पर 2012 के समझौते के तहत स्थापित।
- **विशेष प्रतिनिधि (SR) तंत्र (2003):** प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा के बाद निर्मित; सीमा विवाद का राजनीतिक समाधान खोजने का कार्य सौंपा गया।
- **कोर कमांडर-स्तरीय वार्ता (2020):** वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ-साथ सेनाओं की वापसी (disengagement) और तनाव कम करने (de-escalation) के लिए पूर्वी लद्दाख गतिरोध के बाद सक्रिय सैन्य संवाद तंत्र।

- **पार-सीमा नदियों पर विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र (ELM) (2006):** जल विज्ञान (hydrological) सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) के माध्यम से स्थापित; यह ब्रह्मपुत्र और सतलुज जैसी पार-सीमा नदियों पर डेटा साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।
- **भारत-चीन रणनीतिक आर्थिक संवाद (2010):** चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की भारत यात्रा के दौरान शुरू किया गया; यह बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, उच्च प्रौद्योगिकी और आर्थिक नीति में सहयोग को बढ़ावा देता है।

अल्जाइमर रोग का शीघ्र पता लगाना

संदर्भ

'द लांसेट' (The Lancet) में प्रकाशित दो अध्ययनों में एक नए रक्त परीक्षण और एक उन्नत ब्रेन स्कैन की सूचना दी गई है, जो लक्षण प्रकट होने से वर्षों पहले अल्जाइमर रोग का पता लगा सकते हैं।

नए रक्त परीक्षण के बारे में

- **यह क्या पता लगाता है (प्रयुक्त बायोमार्कर):** एमिलॉयड-बीटा (Aβ42, Aβ40) और ताऊ (tau) प्रोटीन (p-tau217) को मापता है, जो अल्जाइमर रोग से जुड़े दो प्रमुख प्रोटीन हैं।
- **शीघ्र पहचान:** यह स्मृति समस्याओं के विकसित होने से पहले ही मध्यम आयु वर्ग के वयस्कों में अल्जाइमर से संबंधित परिवर्तनों की पहचान कर सकता है।
- **मौजूदा विधियों में सुधार:** महंगे पीईटी स्कैन (PET scans) और आक्रामक स्पाइनल फ्लूइड परीक्षणों के विपरीत, यह नियमित रक्त के नमूने के माध्यम से सरल, सस्ती और बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग को सक्षम बनाता है।
- **महत्व:** यह भविष्य में संज्ञानात्मक गिरावट (cognitive decline) के उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की पहचान करने में मदद कर सकता है और प्रारंभिक हस्तक्षेप की अनुमति दे सकता है।

नए ब्रेन स्कैन के बारे में

- **प्रयुक्त प्रौद्योगिकी:** यह विशेष पीईटी (पॉज़िट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी) स्कैन ट्रेसर का उपयोग करता है जो मस्तिष्क में ताऊ प्रोटीन से जुड़ जाते हैं।
  - पीईटी स्कैन एक मेडिकल इमेजिंग तकनीक है जो शरीर के अंदर जैविक प्रक्रियाओं की कल्पना करने के लिए कम मात्रा में रेडियोधर्मी ट्रेसर का उपयोग करती है।
- **उन्नत सटीकता:** यह मौजूदा इमेजिंग विधियों की तुलना में ताऊ टैंगल्स (tau tangles) का पहले और अधिक सटीकता से पता लगाता है।
- **संभावित उपयोग:** यह निदान, नैदानिक परीक्षणों (clinical trials) के लिए रोगी के चयन और भविष्य के उपचार निर्णयों में सुधार कर सकता है।

अल्जाइमर रोग के बारे में

- **प्रकृति:** यह एक प्रगतिशील मस्तिष्क विकार (progressive brain disorder) और डिमेंशिया (dementia) का सबसे आम कारण है।

- **कारण:** मस्तिष्क में एमिलॉयड प्लाक (amyloid plaques) और ताऊ टैंगल्स (tau tangles) के असामान्य संचय द्वारा अभिलक्षित होता है।
- **प्रभाव:** इसके परिणामस्वरूप स्मृति हानि, सोचने की क्षमता में गिरावट और व्यवहार संबंधी परिवर्तन होते हैं।
- **बोझ:** यह डिमेंशिया के सभी मामलों में लगभग 60-70% के लिए उत्तरदायी है।

ब्रिंकमैनशिप (सीमांत नीति)

संदर्भ

ईरान-अमेरिका, रूस-यूक्रेन, दक्षिण चीन सागर और उत्तर कोरिया से जुड़े बढ़ते तनाव ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ब्रिंकमैनशिप (सीमांत नीति) के बढ़ते उपयोग को लेकर फिर से चिंताएं बढ़ा दी हैं।

ब्रिंकमैनशिप के बारे में

- **अर्थ:** एक ऐसी रणनीति जिसमें कोई देश जानबूझकर किसी संघर्ष को बढ़ने के कगार तक धकेलता है ताकि विरोधी को पीछे हटने, रियायतें देने या बातचीत करने के लिए मजबूर किया जा सके।
- **उत्पत्ति:** यह शब्द शीत युद्ध के दौरान बर्लिन नाकाबंदी (1948-49) और क्यूबा मिसाइल संकट (1962) जैसे संकटों का विश्लेषण करते समय उभरा था।
- **उद्देश्य:** पूर्ण पैमाने पर युद्ध में शामिल हुए बिना रणनीतिक लाभ प्राप्त करना, साथ ही आगे के तनाव के डर का फायदा उठाना।
- **प्रयुक्त विधियां:** इसमें सैन्य खतरे (सैनिकों की लामबंदी, मिसाइल तैनाती), आर्थिक दबाव (प्रतिबंध और नाकाबंदी), छद्म (proxy) समूह/गैर-राज्य अभिनेता, या रणनीतिक समुद्री क्षेत्र में आक्रामक कार्रवाइयां शामिल हो सकती हैं।
- **प्रमुख जोखिम:** तनाव नियंत्रण से बाहर हो सकता है, विशेष रूप से तब जब परमाणु-सशस्त्र राष्ट्र शामिल हों।

मुख्य परीक्षा

न्यायिक लंबित मामले और बढ़ती न्यायिक क्षमता

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026, बढ़ते लंबित मामलों को दूर करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सहित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 कर देता है। हालांकि, केवल सर्वोच्च न्यायालय की क्षमता बढ़ाने से न्यायिक लंबित मामलों का समाधान नहीं होता है।

भारत में लंबित मामलों की स्थिति

- **अधीनस्थ न्यायालयों में संकेंद्रण:** लंबित मामलों का बोझ अधीनस्थ न्यायालयों में सबसे अधिक स्पष्ट है, जो अधिकांश मुकदमों को संभालते हैं और अक्सर न्यायाधीशों तथा न्यायिक बुनियादी ढांचे की भारी कमी का सामना करते हैं।
- **क्षेत्रीय विषमताएं:** लंबित मामलों की सीमा राज्यों के बीच काफी भिन्न होती है, जिसमें कुछ अधिकार क्षेत्र राष्ट्रीय बैकलॉग (लंबित मामलों) के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए उत्तरदायी हैं।
    - उदाहरणार्थ: बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य लगातार देश में सबसे अधिक लंबित मामलों की रिपोर्ट करते हैं।
- **बैकलॉग में निरंतर वृद्धि:** पिछले कुछ वर्षों में न्यायिक बकाया (arrears) में लगातार वृद्धि देखी गई है।
    - उदाहरणार्थ: 2010 और 2020 के बीच, सभी न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में लगभग 2.8% की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई।
- **निपटान के लिए आवश्यक समय:** अनुमानों से पता चलता है कि, भले ही कोई नया मामला दायर न किया जाए, न्यायालयों को मौजूदा बैकलॉग को समाप्त करने के लिए काफी समय की आवश्यकता होगी।
    - उदाहरणार्थ: वर्तमान निपटान दर सर्वोच्च न्यायालय के लिए लगभग 1.3 वर्ष और उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में से प्रत्येक के लिए लगभग 3 वर्ष है।
- **अधिकरणों और विशेष न्यायालयों में लंबित मामले:** अधिकरणों (tribunals) और विशेष न्यायालयों सहित विवादों के त्वरित समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित संस्थाओं को भी पर्याप्त बैकलॉग का सामना करना पड़ता है।
    - उदाहरणार्थ: 2020 के अंत तक राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) में 21,000 से अधिक मामले लंबित थे।

विभिन्न स्तरों के न्यायालयों में लंबित मामले

न्यायिक संस्था	अनुमानित लंबित मामले (2022-23)
सर्वोच्च न्यायालय	71,000 से अधिक मामले
उच्च न्यायालय	लगभग 60 लाख मामले
अधीनस्थ न्यायालय	4.1 करोड़ से अधिक मामले

भारत में निरंतर न्यायिक लंबित मामलों के कारण

- **अपर्याप्त न्यायिक क्षमता:** दायर किए गए मामलों की मात्रा के सापेक्ष न्यायाधीशों की संख्या अपर्याप्त बनी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप बैकलॉग लगातार बढ़ रहा है और मामलों के निपटान की दर धीमी हो रही है।
- **त्रुटिपूर्ण न्यायिक बुनियादी ढांचा:** कई न्यायालयों को अदालत कक्षों (courtrooms), सहायक कर्मचारियों, डिजिटल सुविधाओं और अन्य आवश्यक संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, जो बढ़ते कार्यभार को कुशलतापूर्वक संभालने की उनकी क्षमता को सीमित करता है।
- **जटिल और समय लेने वाली मुकदमेबाजी:** कुछ विवादों में जटिल कानूनी, तकनीकी या तथ्यात्मक मुद्दे शामिल होते हैं जिनके लिए व्यापक सुनवाई और विस्तृत परीक्षण की आवश्यकता होती है, जिससे न्यायनिर्णयन (adjudication) लंबा खिंच जाता है।
- **प्रक्रियात्मक बाधाएं:** बार-बार स्थगन, गवाहों को सुरक्षित करने में कठिनाइयों, लंबे समय तक साक्ष्य संग्रह, और बोझिल प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाली देरी अक्सर मामलों की समयबद्ध प्रगति में बाधा डालती है।
- **बढ़ती कानूनी जागरूकता:** कानूनी अधिकारों के बारे में जनता में बढ़ती जागरूकता, साथ ही न्यायिक उपचार प्राप्त करने के विस्तारित अवसरों ने न्यायालयों तक पहुंचने वाले मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है।
- **वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) का सीमित उपयोग:** मध्यस्थता (mediation), माध्यस्थम (arbitration) और सुलह (conciliation) जैसे तंत्रों पर अपर्याप्त निर्भरता के परिणामस्वरूप ऐसे विवाद, जिन्हें न्यायालयों के बाहर सुलझाया जा सकता था, निरंतर औपचारिक न्यायिक प्रणाली में प्रवेश करते रहते हैं।

केवल सर्वोच्च न्यायालय की क्षमता बढ़ाने से न्यायिक लंबित मामलों का समाधान क्यों नहीं होता है

- **विशेष अनुमति याचिकाओं (SLPs) पर निर्भरता:** अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र के व्यापक प्रयोग से उन अपीलों की बाढ़ आ गई है जिनका मूल उद्देश्य अपवाद स्वरूप होना था।
- **अपर्याप्त जांच (Screening):** प्रवेश स्तर (admission stage) पर ही तुच्छ, दोहराव वाले या कम प्राथमिकता वाले मामलों को बाहर करने के लिए न्यायालय के पास मजबूत फ़िल्टरिंग तंत्र का अभाव है।
- **मांग-प्रेरित मुकदमेबाजी में वृद्धि:** अधिक न्यायिक क्षमता त्वरित न्याय की उम्मीदें पैदा कर सकती है, जिससे अधिक वादियों को न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।
- **संविधान पीठों के गठन में कठिनाई:** महत्वपूर्ण संवैधानिक और कानूनी प्रश्नों के लिए पांच या अधिक न्यायाधीशों की पीठ की आवश्यकता होती है। केवल समग्र न्यायिक क्षमता बढ़ाने से ऐसी बड़ी पीठों का नियमित कामकाज सुनिश्चित नहीं होता है।
- **सबसे बड़े वादी के रूप में सरकार:** अनावश्यक सरकारी मुकदमेबाजी को कम किए बिना, लंबित मामलों में पर्याप्त कमी आने की संभावना नहीं है।
- **निरंतर केस प्रबंधन की समस्या:** बार-बार स्थगन, लंबी मौखिक बहसें और अक्षम शेड्यूलिंग मामलों के निपटान में निरंतर देरी करते हैं।
- **कानूनी निरंतरता के बजाय निपटान दरों पर जोर:** गति पर अत्यधिक जोर कानूनी निश्चितता और सैद्धांतिक सुसंगतता से समझौता कर सकता है।

- सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक भूमिका निपटान के आंकड़ों से परे जाकर कानून में एकरूपता और पूर्वानुमेयता (predictability) बनाए रखने तक विस्तृत है।

- **निचली अदालतों में लंबित मामले:** राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के आंकड़े बताते हैं कि 85% से अधिक लंबित मामले अधीनस्थ न्यायालयों में केंद्रित हैं।
  - केवल न्यायाधीशों की संख्या प्रणालीगत सुधारों का विकल्प नहीं हो सकती।

भारत की न्याय वितरण प्रणाली पर न्यायिक लंबित मामलों का प्रभाव

- **न्याय प्रदान करने में देरी:** "देरी से मिला न्याय, अन्याय के समान है" का सिद्धांत वादियों और समाज पर लंबी मुकदमेबाजी के प्रतिकूल परिणामों को दर्शाता है।
- **गुणवत्ता में गिरावट:** भारी कार्यभार उस समय को सीमित करता है जो न्यायाधीश कानूनी मुद्दों, साक्ष्यों और तर्कों की गहराई से जांच करने के लिए समर्पित कर सकते हैं।
- **बढ़ता दबाव:** उच्च लंबित मामले अदालती डॉकेट (dockets) में अत्यधिक भीड़ बढ़ाते हैं और नए मामलों पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने की प्रणाली की क्षमता को कम करते हैं।
- **जनता के विश्वास का क्षरण:** लगातार देरी अदालतों की समय पर उपचार प्रदान करने की क्षमता में नागरिकों के विश्वास को कमजोर कर सकती है।
- **बढ़ती वित्तीय लागत:** विस्तारित मुकदमेबाजी कानूनी खर्चों को बढ़ाती है, जिसमें वकील की फीस, यात्रा व्यय, दस्तावेज़ीकरण का खर्च और अवसर लागत (opportunity costs) शामिल हैं।
- **पीड़ितों के साथ अन्याय:** देरी साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है क्योंकि गवाह महत्वपूर्ण विवरण भूल सकते हैं, अनुपलब्ध हो सकते हैं, या समय के साथ उनका निधन हो सकता है।
- **प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव:** विश्व बैंक और विभिन्न आर्थिक अध्ययनों ने कारोबारी माहौल में सुधार के लिए कुशल विवाद समाधान के महत्व पर जोर दिया है।
- **विचाराधीन कैदियों (Undertrials) की संख्या में वृद्धि:** आपराधिक कार्यवाही में देरी के परिणामस्वरूप अक्सर आरोपी व्यक्ति बिना दोषसिद्धि के विस्तारित अवधि तक हिरासत में रहते हैं।

भारत में न्यायिक लंबित मामलों के समाधान के लिए किए गए उपाय

- **न्यायिक क्षमता का विस्तार:** सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 न्यायाधीश कर दी गई है।
- **वर्चुअल न्यायालय (Virtual Courts):** न्यायालयों ने निर्बाध न्यायिक कामकाज और न्याय तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वर्चुअल सुनवाई और वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं को तेजी से अपनाया है।
- **ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट:** यह पहल सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के माध्यम से न्यायपालिका को आधुनिक बनाने का प्रयास करती है।
- **मामलों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग (ई-फाइलिंग):** वादी और अधिवक्ता न्यायालय परिसर में भौतिक रूप से उपस्थित हुए बिना ऑनलाइन मामले दायर कर सकते हैं।

- **इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS):** ICJS आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न घटकों को एकीकृत करता है, जिसमें न्यायालय, पुलिस, जेल, अभियोजन एजेंसियां और फोरेंसिक प्रयोगशालाएं शामिल हैं।
- **फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTCs):** विशेष श्रेणी के मामलों, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े और लंबे समय से लंबित मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए FTCs बनाए गए हैं।
- **वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) को बढ़ावा देना:** न्यायपालिका और सरकार ने निम्नलिखित तंत्रों को प्रोत्साहित किया है:
    - लोक अदालतें
    - मध्यस्थता (Mediation)
    - माध्यस्थम (Arbitration)
    - सुलह (Conciliation)
    - ग्राम न्यायालय
    - ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR)
- **राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG):** NJDG न्यायालयों में लंबित और निपटाए गए मामलों पर रीयल-टाइम डेटा प्रदान करता है तथा निगरानी, नीति निर्माण और साक्ष्य-आधारित न्यायिक सुधारों को बेहतर बनाने में मदद करता है।